राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–

अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 122/2020
GCMS NO.- 2020/00248

1. विजेन्द्र आर्य पुत्र जयनारायण जाति जाट निवासी भावठडी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।

.....वादी

बनाम

1. जयनारायण पुत्र हेतराम
2. अजय कुमार पुत्र जयनायण
3. कविता पत्नी सुरेश कुमार
4. सविता पत्नी सुरेन्द्र कुमार

} समस्त जाति जाट निवासी भावठडी

5. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैक शाखा सूरजगढ
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ।

.....प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–::निर्णय::–

दिनांक :– 04/02/2021

वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः–

1. यह है कि ग्राम भावठडी में थाना नामक व्यक्ति था। उक्त थाना का देहान्त हो चुका है। उक्त थाना का देहान्त हो चुका है। उक्त थाना के दो पुत्र हेतराम व धन्नाराम हुए। हेतराम व धन्नाराम का देहान्त हो चुका है। हेतराम के प्रतिवादी सं. 1 जयनारायण हुआं। जयनारायण के पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 2 है।
2. यह कि ग्राम भावठडी में जमीन गत खसरा नम्बर ... रकबा 46 बीधा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 104 रकबा 25 बीधा ... थी। उक्त जमीन से ... खसरा नम्बर 566, 567, 570, 591, 596 बने उ... दावें में वादग्रस्त जमीन ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.10 16:17:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with CamScanner

खसरा नम्बर 566रकबा 5.29 है. जिसके हाल खसरा नम्बर 1213/566 रकबा 3.00 है. विभाजन से बने है।

3. यह कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व पिता पुत्र है तथा उन्होने करीब 20 वर्ष पूर्व ही अपनी चल व अचल सम्पत्तियों का बंटवारा कर लिया था। पारिवारिक बंटवारे में उक्त विवादित जमीन हाल खसरा नम्बर 1213/566 रकबा 3.00 है. मे वादी को 2/3 हिस्सा मिला व भाई बंटवारें व मौखिक विभाजन में प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पास ग्राम भावठडी में अन्य जमीन व ग्राम फरटिया ताल जिला भिवानी हरियाणा में अन्य जमीन है।

4. यह कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने अपने हिस्से की जमीन उक्त खसरा नम्बर 1213/566 रकबा 3.00 है. में अपने हिस्से की जमीन प्रतिवादीगण 3, 4 को विक्रय कर दी है शेष हिस्सा 1.91 है. वादी का है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम स`चल रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 आपस में मिले हुए है व उन्होने अपने हिस्से की जमीन विक्रय करने के बाद भी बंटवारें आयी वादी के हिस्से की जमीन को विक्रय करना चाहते है जबकि प्रतिवादीगण सं. 1, 2 पारिवारिक बंटवारे के अनुसार अपना हिस्सा विक्रय कर चुके है तथा ना ही प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 का उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा कास्त है।

5. यह है कि उक्त वाद वर्णित जमीन हाल खसरा नम्बर 1213/566 रकबा 3.00 है. में वादी पारिवारिक बंटवारे के अनुसार वादी प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर 1.91 है. हिस्से की धोषणा करवाने का अधिकारी है। यदि प्रतिवादी सं. 1, 2 पारिवारिक बंटवारे बाबत विवाद करते है तब वाद वर्णित धारा 2 में वर्णित जमीन वादी वाद पत्र के अनुसार पैतृक सम्पत्ति रही है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है कि –

(अ). यह है जमीन हाल खसरा नम्बर 1213/566 रकबा 3.00 है. वाके ग्राम भावठडी तहसील सूरजगढ में प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] के स्थान पर वादी को खातेदार कास्तकार कास्तकार घोषित किया [illegible] यदि किसी कारण वश पारिवारिक बंटवारे के अनुसार व प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा विवाद उत्पन्न करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.10 16:17:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with CamScanner

पर खण्ड 2 में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से वादी का हिस्सा तय कर खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से श्री अजय कुमार एडवोकेट की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। इकवालिये जबाव पेश किया गया।

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेजो में नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–77, मिलान क्षेत्रफल, नामान्तकरण सं. 233, जमाबंदी सं. 2022–25, जमाबंदी सं. 2012, जमाबंदी सं. 2014–17, जमाबंदी सं. 2026–29, जमाबंदी सं. 2030–2033, जमाबंदी सं. 2050–2053, जमाबंदी सं. 2054–57, नामान्तकरण सं. 118, जमाबंदी सं. 2018–21, नक्शा ट्रेस पेश किया गया।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत इकबालिये जबाव , साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि जयनारायण के नाम दर्ज रिकार्ड है। वाद वर्णित भूमि पैत्तक भूमि है तथा जयनारायण के 2 पुत्र है। इनके द्वारा प्रस्तुत इकबालिये जबाव के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी संख्या 2 की हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादी सं. 3, 4 को जरिये पंजीकृत विक्रय से किया गया है जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 का 191/300 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। तथा उक्त हिस्सा वादी को खातेदार कास्तकार घोषित किये जाने पर सहमत है। वादी को भूमि वाके ग्राम भावठडी के खसरा नम्बर 1213/566 रकबा 3.00 है. में प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाना उचित पाता है। वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम रहन दर्ज है तथा वादी द्वारा बैक का कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया है। बैक के हि[illegible] ध्यान में रखते हुए वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा वादी [illegible] प्रा[illegible] वाले रकबे के विरूद्व दर्ज किया जाना न्याय संगत है। पक्षकारान का इ[illegible]लिये जबाब व आपसी सहमति

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.10 16:17:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

है। वादी ने वाद को महत्वपुर्ण व सुसंगत दस्तावेजो से साबित किया है। अतः न्यायालयं वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश ::—

न्यायालय वादी के वाद को डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भावठडी तहसील सूरजगढ स्थित भूमि खसरा नम्बर 1213/566 रकबा 3.00 है., में प्रतिवादी सं. 1 का 191/300 में नाम हजफ कर स्थान पर वादी को खातेदार धोषित किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने का आदेश दिया जाता है। वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम रहन दर्ज है तथा वादी द्वारा बैक का कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया है। बैक के हितो को ध्यान में रखते हुए वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा वादी को प्राप्त होने वाले रकवे के विरूद्व दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार रहन दर्ज करें। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

निर्णय आज दिनांक 04/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.10 16:17:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सूरजगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी –: अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–122/2020

GCMS NO.- 2020-00248

निर्णय दिनांक : 04/02/2021

विजेन्द्र बनाम जयनारायण आदि

<u>दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती</u>

वादी की ओर से **श्री सोमवीर एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से **श्री अजय कुमार एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को **अभिलाषा उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वादी के वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भावठडी तहसील सूरजगढ स्थित भूमि खसरा नम्बर 1213/566 रकबा 3.00 है., में प्रतिवादी सं. 1 का 191/300 में नाम हजफ कर स्थान पर वादी को खातेदार धोषित किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने का आदेश दिया जाता है। वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम रहन दर्ज है तथा वादी द्वारा बैक का कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया है। बैक के हितो को ध्यान में रखते हुए वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा वादी को प्राप्त होने वाले रकबे के विरूद्व दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार रहन दर्ज करें। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 04/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.10 16:17:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner